

**लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश**

क्रमांक/विद्या/योग/2010/737

भोपाल, दिनांक 27.07.2010

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :-विद्यालयों में सूर्य नमस्कार/ प्राणायाम का स्वेच्छिक आयोजन।

विद्यार्थियों के स्वास्थ्य रक्षण तथा योग के प्रति जागरूकता की दृष्टि से विद्यालयों में सूर्यनमस्कार, प्राणायाम तथा योग के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इस हेतु समय विभाग चक्र में प्रतिदिन 10 मिनट का समय निर्धारित किया जाना है तथा माह के अन्तिम शनिवार/कार्य दिवस को सामूहिक सूर्य नमस्कार/प्राणायाम का आयोजन होना है।


2/ आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से निम्नानुसार तिथियों में प्रातः 9:00 से 9:30 बजे तक सूर्यनमस्कार का प्रसारण किया जायेगा। तदनुसार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के विद्यालयों में एक संकेत पर एक समय सामूहिक सूर्य नमस्कार कराया जाए :-

तिथि	दिन	समय
31 जुलाई, 2010	शनिवार	प्रातः 9:30 से 10:00 बजे
31 अगस्त, 2010	मंगलवार	प्रातः 9:30 से 10:00 बजे
30 सितम्बर, 2010	गुरुवार	प्रातः 9:30 से 10:00 बजे
30 अक्टूबर, 2010	शनिवार	प्रातः 9:30 से 10:00 बजे
30 नवम्बर, 2010	मंगलवार	प्रातः 9:30 से 10:00 बजे
31 दिसम्बर, 2010	शुक्रवार	प्रातः 9:30 से 10:00 बजे
12 जनवरी, 2011	बुधवार	प्रातः 9:30 से 10:00 बजे

3/ मासिक आयोजन के 15 दिवस के भीतर निम्नांकित प्रपत्र में जानकारी संकलित कर जिलावार संचालनालय को भेजना सुनिश्चित करें :-

स. क्र	विद्यालय का नाम	क्या विद्यालय में नियमित रूप से उक्तानुसार सूर्य नमस्कार किया जाता है।		विद्यालय में अध्ययनरत कुल विद्यार्थी	सूर्य नमस्कार में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी	टिप्पणी
		हाँ	नहीं			
1	2	3	4	5	6	7


यह सुनिश्चित करें कि शैक्षणिक कैलेंडर में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रारंभ से ही उक्तानुसार सूर्यनमस्कार/प्राणायाम का आयोजन किया जाये। इसमें सहभागिता स्वेच्छिक रहेगी।


(बी. राजगोपाल नायडू)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/विद्या/योग/2010/ 738
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 27.07.2010

1. निज सचिव, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा की ओर मध्यप्रदेश योग परिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2010 में लिये गये निर्णय के प्रकाश में सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
7. माननीय सदस्य गण, मध्यप्रदेश योग परिषद्, भोपाल की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश